OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE : DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970.

FOR PUBLICATION IN DELHI POLICE GAZETTE
(ORDERS BY THE ADDL. COMMISSIONER OF POLICE/ HQ(PERS.) : DELHI)

NOTIFICATION

Dated 04/11/2026

No. 78196 **/CB-V/PHQ: PROMOTION:-** ASI/Stenographer (Elevated Sub-Insprs./Steno) Mukesh Chand Meena, No. 3065-D (PIS No. 25080002) (ST) whose name exists on Promotion List (Stenographers) for the vacancy year 2026, is hereby promoted to the rank of officiating Inspector (Stenographer) w.e.f. 01.11.2026 and placed on probation for a period of two years.

C.G. No. P-04 1126-143-0026

This notification is subject to further orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court in the Jarnail Singh batch of cases as mentioned in DOPT's O.M. No. 36012/16/2019-Estt. (Res.), dated 12.04.2022.

04/11/26

(Dr. A. KOAN)IPS
ADDL. COMMISSIONER OF POLICE:
HEADQUARTERS(PERS.)

No. 78197-78204 /CB-V/PHQ dated Delhi the 04/11/ 2026.

Copy for information and necessary action to the:-

1. Addl. Dy. Director, DPA/Jharoda Kalan, New Delhi. The individual may also be asked to opt for choosing the date of fixation of pay on promotion, if any, under rule FR-22 (I)(a)(I) and GOI's order No. 17 below FR-22, as per PHQ's endst. No. 14048-99/CR-II/PHQ dated 28.08.2008.
2. DCP/I.T. (PHQ), Delhi.
3. Inspr. Estt. (PHQ) with one spare copy for publication in Delhi Police Gazette.
4. ACs- 'R', Computer & T/P Cell CB/PHQ.
5. AC- III with one (01) spare copy for placing the same in his Personal Files

P.T.O

कार्यालय पुलिस आयुक्त : दिल्ली
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष नं. 011-23746100, एक्सटेंशन 69970

दिल्ली पुलिस गजट में प्रकाशन हेतु
(अतिरिक्त पुलिस आयुक्त /मुख्यालय-(कार्मिक): दिल्ली के आदेशानुसार)

अधिसूचना

दिनांक 04/11/2026

सं. 78196 / **गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय: पदोन्नति**:- सहायक उप-निरीक्षक/आशुलिपिक (प्रोन्नत उप-निरीक्षक/आशुलिपिक) मुकेश चंद मीणा, नं. 3065-डी (पीआईएस नं. 25080002) (अजजा) जिनके नाम रिक्ति वर्ष 2026 के लिए पदोन्नति सूची (आशुलिपिक) में मौजूद हैं, को एतद्द्वारा दिनांक 01.11.2026 से कार्यवाहक निरीक्षक (आशुलिपिक) के पद पर पदोन्नत किया जाता है और दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

कम्प्यूटर जनित संख्या: *पी- 04 1126-143-0026*

यह अधिसूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/16/2019-स्था. (आरक्षित), दिनांक 12.04.2022 में उल्लिखित जरनैल सिंह मामलों के समूह में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन है।

04/11/26

(डॉ. अ. कोन) भा. पु. से.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
मुख्यालय (कार्मिक): दिल्ली

सं. 78197-78204 / गोपनीय शाखा-V/पुलिस मुख्यालय, दिल्ली, दिनांक 04/11/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस उपायुक्त, डीपीए, झरोदा कलां, नई दिल्ली। पुलिस मुख्यालय की पृष्ठांकन सं. 14048-99/सीआर-II/ पुलिस मुख्यालय, दिनांक 28.08.2008 के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को नियम एफआर-22 (I)(a)(I) और एफआर-22 के तहत भारत सरकार के आदेश सं. 17 के अंतर्गत, यदि कोई हो, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की तिथि चुनने का विकल्प देने के लिए भी कहा जा सकता है।
2. पुलिस उपायुक्त/आई.टी. (पुलिस मुख्यालय), दिल्ली।
3. निरीक्षक / स्थापना (पुलिस मुख्यालय) को दिल्ली पुलिस गजट में प्रकाशन के लिए ।
4. प्रभारी - 'आर', कंप्यूटर और टी/पी सेल, सीबी/ पुलिस मुख्यालय ।
5. प्रभारी – III को एक अतिरिक्त प्रति के साथउनकी व्यक्तिगत फाइल में रखने के लिए।

P.T.O.